प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 25 / 2023

अनवान : –

1. नरेश कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. जगदीश प्रसाद पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. सरला पुत्री जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. सुनीता पुत्री जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
4. कविता पुत्री जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
5. नीतू पुत्री जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–188 ,राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति : 1. श्री मदन मोहन जोशी **वादी**
2. श्री मांगीराम बैनीवाल अधिवक्ता **प्रतिवादी**

निर्णय **दिनांकः 03.06.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 1 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 19 / 19 की कुल 1.5680 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा 14 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 47 / 49 की कुल 1.2520 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी तथा प्रतिवादी सं0 2 ता 5 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य हुए पारिवारिक समझौते अनुसार चक 1 आरपीएम की वाद भूमि प्रतिवादीगण ने वादी को दे दी व रोही मौजा 14 बारानी की वाद भूमि प्रतिवादी स0 1 स्वयं ने अपने नाम रख ली । प्रतिवादी सं0 1 ने अन्य कृषि भूमि में अपना हिस्सा स्वीकार किया था इस प्रकार वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:43:25 IST
Reason: SelfAttested

वाद भूमि बाबत पक्षकारान का बाहमी बंट[illegible] चुका है जिसके मुताबिक प्रतिवादीया स0 2 ता 5 ने वादी एवं प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में अपने [illegible] हिस्से का परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग रोही मौजा 1 आरपी[illegible] के खाता स0 19 / 1[illegible] कुल 1.5680 हैक्ट का वादी अकेला खातेदार काश्तकार रहेगा एवं [illegible] मौजा चक 14 केएन[illegible] तहसील नोहर के खाता स0 47 / 49 की कुल 1.2520 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादी को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य पुरानी व नयी जमाबंदी, सदस्य प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की कि उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है जो की वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 5 की प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब हक हिस्सा की भूमि है। वाद भूमि में प्रतिवादी स0 2 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। प्रतिवादी स0 1 के नाम उक्त वाद भूमि के अलावा अन्य कृषि भूमि दर्ज है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने पक्षकारान को सुना व प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 1 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 19/19 की कुल 1.5680 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा 14 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 47/49 की कुल 1.2520 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी स0 1 ने अन्य कृषि भूमि होना स्वीकार किया है। प्रतिवादीया स 2 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादी स0 1 ने अन्य कृषि भूमि होना स्वीकार किया है। प्रतिवादीया स0 2 ता 5 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:43:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति [illegible] प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार [illegible] जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 आरपीएम तहसील नोहर के खाता [illegible] 19/19 की कुल 1.5680 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया

जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 14 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 47/49 की कुल 1.2520 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 3/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 मे मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–रतनपुरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:43:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 25/2023

अनवान : –

1. नरेश कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. जगदीश प्रसाद पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. सरला पुत्री जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. सुनीता पुत्री जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
4. कविता पुत्री जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
5. नीतू पुत्री जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 25 सन 2023 निर्णय दिनांक 03.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील उभयपक्ष की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 19/19 की कुल 1.5680 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 3/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–रतनपुरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:43:25 IST
Reason: SelfAttested